

एस्सार ट्रांसमिशन लिमिटेड

(शॉप नं. 2 व 3 जलसा कॉम्प्लेक्स पर, प्लॉट नं. 175/1, 175/1 खा, 175/5, गांव ताली (वायधान), जिला सिंगरौली, वायधान, सिधौ, सिंगरौली कोलियासरी, मध्य प्रदेश, भारत 486886)

- उपरोक्त नामित वादी ने सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन, नई दिल्ली के समक्ष वित्तीय वर्ष से 2019-20 तथा 2023-24 की नियंत्रण अवधि के लिए टू अप हेतु तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक (i) महान टीपीपी से सिपट सबस्टेशन तक 400 केवी डीआईसी क्वाड मूस ट्रांसमिशन लाइन (ii) महान और सिपट पर 400 केवी लाइन बेज (iii) ईपीएमपीएल पर 80 एमवीएआर बस रिक्टर और 50 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिक्टर के 400 केवी बेज लिए टैरिफ की गणना के लिए एक याचिका दर्ज की है।
- ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी ये हैं: (1) सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (2) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (3) पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (4) वेस्टर्न रीजनल पावर कमिटी (5) एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (6) वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (7) महान एनर्जन लिमिटेड (पूर्वनाम एस्सार पावर एम.पी. लिमिटेड)
- ट्रांसमिशन सिस्टम की लाइन की लंबाई, बेज की संख्या, ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता:

मापदंड	लाइन की लंबाई	बेज की संख्या	ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता
महान-सिपट ट्रांसमिशन लाइन	337 कि.मी		
महान सबस्टेशन		5	100 एमवीएआर
सिपट सबस्टेशन		2	180 एमवीएआर

- परियोजना की स्वीकृत पूँजीगत लागत (लाख रुपए में): 1,51,658 लाख पूँजीगत लागत की स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण: सीईआरसी
- वाणिज्यिक परिचालन की अनुसूचित तिथि- लागू नहीं (क्योंकि पहले ही कमीशन हो चुका है)
- वाणिज्यिक परिचालन की वास्तविक तिथि: 22.09.2018
- वाणिज्यिक परिचालन की तिथि पर पूँजीगत लागत (लाख रुपए में): 1,51,658 लाख (मूल लागत को सीओडी के रूप में मंजूर किया जा चुका है)
- टैरिफ का विवरण: (लाख रुपए में)

मापदंड	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ (2018-19)	वर्षवार टैरिफ जो निर्धारित किए जाने की माँग की गई है				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल संपत्तियां	17,566	31,630	30,445	29,265	28,123	27,017

मापदंड	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ (2023-24)	वर्षवार टैरिफ जो निर्धारित किए जाने की माँग की गई है				
		2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
कुल संपत्तियां	27,017	26,360	26,160	25,441	23,412	22,326

- टैरिफ निर्धारण के लिए दायर याचिका की प्रति वेबसाइट www.adanienergysolutions.com पर डाली गई है।
- याचिका में निहित टैरिफ निर्धारण के प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियाँ, यदि कोई हों, लाभार्थियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को एक प्रति भेजने के साथ आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दायर की जा सकती हैं।

स्थान: अहमदाबाद
दिनांक: 16.12.2024

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का
नाम और पदनाम